

(11)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
शाखा—बी

संख्या: एस0जे0ई0—बी—एफ(10)1 / 2023 दिनांक: शिमला—02, 15 मई, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला लाहौल—स्पीति के स्पीति क्षेत्र की ऐसी पात्र महिलाओं जिनकी आयु 18—59 वर्ष (60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक) तथा जिनकी आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है एवं बौद्ध भिक्षुणियों (छोमो) को आर्थिक संबलता सुनिश्चित करने हेतु “इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, 2023” (अनुबन्ध—“क”) के अन्तर्गत ₹ 1500/- की राशि प्रतिमाह प्रदान करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

उक्त योजना प्रथम चरण में जिला लाहौल—स्पीति के स्पीति क्षेत्र में राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

आदेश द्वारा

एम0 सुधा देवी  
सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठाकांन संख्या: यथोपरि। दिनांक: शिमला—171002, 15 मई, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवंश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समस्त प्रधान सलाहकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—02।
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—02।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश, शिमला—02।
4. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला—02।
5. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव माननीय मुख्यमन्त्री, हिं0 प्र0, शिमला—02।
6. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उप महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला—03।
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।

८. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हिमाचल प्रदेश, शिमला-०९।
९. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक ०३-०५-२०२३ की मद संख्या २३ के अन्तर्गत प्रदान किए गए अनुमोदन की अनुपालना के सन्दर्भ में।
१०. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला - १७१००५ को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इन नियमों को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने की कृपा करें तथा यह भी अनुरोध किया जाता है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजने की कृपा करें।
११. अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, काज़ा, जिला लाहौल-स्पीति, हिमाचल प्रदेश।
१२. निजि सचिव, समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला-०२।
१३. जिला कल्याण अधिकारी, लाहौल-स्पीति/तहसील कल्याण अधिकारी, काज़ा, लाहौल-स्पीति, हिमाचल प्रदेश।
१४. गार्ड फाईल।

१५.५.२३

(जीवन सिंह)

संयुक्त सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

## अनुबन्ध—“क”

### “इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, 2023”

1. **संक्षिप्त परिचय:**— हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल-स्पीति के स्पीति क्षेत्र में लगभग 46 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। प्रदेश का यह भाग सबसे दुर्गम क्षेत्रों में से एक है जहां जीवन-यापन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कठिन व चुनौतीपूर्ण रहता है। इस क्षेत्र की महिलायें घरेलू कामकाज से लेकर परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। यद्यपि इस क्षेत्र की महिला आबादी हर क्षेत्र में योगदान दे रही है फिर भी अधिकांशतः वे आर्थिक रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों पर ही निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त इस दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के संरक्षण में क्षेत्र की महिलाओं का अमूल्य योगदान है।

इसलिए यह योजना इस क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक होगी जिससे वे पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का सार्थक ढंग से निर्वहन कर सकें।

2. **शीर्षक:**— इस योजना का नाम “इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, 2023” होगा तथा जिसे इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित किया जायेगा।

3. **उद्देश्य:**— योजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

(क) स्पीति क्षेत्र के विकास व सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में महिलाओं के योगदान का सम्मान।

(ख) महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण व स्वावलम्बन सुनिश्चित करना।

4. **योजना का कार्यक्षेत्र:**— यह योजना प्रथम चरण में जिला लाहौल-स्पीति के उप-मण्डल काजा के समस्त क्षेत्र में लागू होगी।

## 5. पात्रता:-

(क) 18–59 वर्ष (60 वर्ष की आयु पूरी होने तक) आयु वर्ग की महिलायें जो हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल एवं स्पीति के स्पीति क्षेत्र की स्थाई निवासी हों तथा जिनके परिवार से कोई व्यक्ति निम्न श्रेणियों में शामिल न हो:-

“केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पैशानर, अनुबन्ध/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी/ अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवायें, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/ आशा वर्कर/मिड डे मील वर्कर/मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पैशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं /शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केन्द्र/राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/ बोर्ड/काउंसिल/एजेंसी में कार्यरत/पैशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता इत्यादि”

(ख) बौद्ध मठों में स्थाई रूप से रहने वाली बौद्ध शिक्षुणियां (चोसो)।

## 6. परिभाषाएः-

- (क) “परिवार” से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां जोकि प्रार्थी के साथ राशन कार्ड में दिनांक 01.01.2023 को दर्ज हों, परिवार की परिधि में आएंगे।
- (ख) “प्राधिकृत अधिकारी” से तात्पर्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश है।
- (ग) “तहसील कल्याण अधिकारी” से तात्पर्य तहसील कल्याण अधिकारी, काज़ा है।

(घ) "सक्षम अधिकारी" से तात्पर्य स्पीति उप मण्डल में अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी है।

7. निधि की दरः— पात्र महिलाओं एवं बौद्ध भिक्षुणियों (चोमो) को ₹1500/- प्रति माह देय होगा।

8. सम्मान निधि प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

(क) सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला को निर्धारित प्रपत्र पर तहसील कल्याण अधिकारी, काज़ा को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना पत्र निदेशालय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण शिमला, अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, काज़ा / तहसील कल्याण अधिकारी, काज़ा तथा सम्बन्धित पंचायतों में निःशुल्क उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र विभागीय वैबसाईट [www.esomsa.hp.gov.in/](http://www.esomsa.hp.gov.in/) पर भी उपलब्ध होंगे।

(ख) सम्मान निधि प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-1 पर प्रार्थना—पत्र (फोटोग्राफ सहित) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक होंगे:-

- (1) वैध आयु प्रमाण पत्र।
- (2) हिमाचली बोनाफाईड / मूल निवासी प्रमाणपत्र।
- (3) बैंक / डाकघर खाता संख्या हेतु पासबुक की छायाप्रति।
- (4) आधार कार्ड की छायाप्रति।
- (5) राशन कार्ड की छायाप्रति।
- (6) पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी (मुख्य चोमो) द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

- (ग) तहसील कल्याण अधिकारी प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों का विवरण प्राप्ति की तिथि के कमानुसार दर्ज करेंगे जिसे छंटनी के बाद, पात्र महिलाओं एवं बौद्ध भिक्षुणियों के प्रार्थना पत्र को वह अपने कार्यालय में श्रेणीवार एक रजिस्टर पर प्राप्ति तिथि अनुसार दर्ज करेंगे। प्रार्थना—पत्र के ऊपर दायी ओर रजिस्टर का क्रमांक तथा प्राप्ति की तिथि अंकित कर प्रस्ताव पूर्ण मामलों सहित सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।
- (घ) तहसील कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रार्थना पत्रों में नियमानुसार सभी औपचारिकाताएँ पूर्ण हैं। अधूरे/अपात्र श्रेणी के प्रार्थना—पत्रों को 15 दिन के भीतर टिप्पणी सहित प्रार्थी को वापिस भेजेंगे।

#### 9. सम्मान निधि स्वीकृत करने की प्रक्रिया:-

- (क) सम्मान निधि की राशि की स्वीकृति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, काज़ा, जिला लाहौल—स्पीति सक्षम अधिकारी होंगे।
- (ख) तहसील कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सक्षम अधिकारी को स्वीकृति आदेश का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि:-
- (1) लाभार्थी को निधि 18—59 वर्ष तक (60 वर्ष की आयु पूरी होने तक) की महिलाओं व बौद्ध भिक्षुणियों (चोमां) के लिए लागू रहेगी बशर्ते उसकी पात्रता योजनानुसार बनी रहे।
  - (2) लाभार्थी की मृत्यु/अपात्र की सूचना परिवार के सदस्यों/ग्राम पंचायत द्वारा 15 दिन के भीतर सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को दी जायेगी।

- (ग) स्वीकृति आदेश की प्रतियां महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी एवं सम्बन्धित कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेंगी।
10. पैशन/भत्ता का वितरण:- सम्मान निधि का वितरण वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.06.2023 से 30.9.2023 तक व इसके उपरान्त छमाही आधार पर डाकघर अथवा बैंक में बचत खाता खुलवाकर किया जाएगा।
11. निधि वितरण रिपोर्ट:- तहसील कल्याण अधिकारी निधि वितरण की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण को भेजेंगे।
12. निधि बन्द करने की प्रक्रिया:-
- (क) मृत/अपात्र लाभार्थियों की सूचना/पहचान पर तहसील कल्याण अधिकारी एक माह के भीतर जांच रिपोर्ट पर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अपात्र व्यक्तियों की निधि स्थाई तौर पर बन्द करेंगे।
- (ख) किसी भी लाभार्थी के विरुद्ध यदि अपात्र होने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी आवश्यक छानबीन शिकायत प्राप्ति के एक माह के भीतर तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा की जायेगी। ऐसे लाभार्थी की निधि तत्काल प्रभाव से तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा अस्थाई तौर पर रोक दी जायेगी।
- (ग) तहसील कल्याण अधिकारी निधि बन्द करने की सूचना पत्र द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर देंगे।
13. निरीक्षण:- स्वीकृत निधि धारकों की समय-2 पर जिला कल्याण अधिकारी, लाहौल-स्पीति तथा तहसील कल्याण अधिकारी, काज़ा द्वारा अपने प्रवास के

दौरान योजना में पात्रता की शर्तों के बारे जांच करेंगे व निधि धारकों की पात्रता सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी योजना के कुल लाभार्थियों में से कमशः 10 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष करेंगे।

14. **लेखा शीर्ष** :- इस योजना के अंतर्गत होने वाला व्यय अलग लेखा शीर्ष में प्रावधित बजट से किया जाएगा।

15. **अभिलेख का रख-रखाव**:- इस योजना से सम्बन्धित लेखा एवं अभिलेख के रख-रखाव का उत्तरदायित्व तहसील कल्याण अधिकारी, काज़ा का होगा।

(क) योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेख जिसमें प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति, स्वीकृति, वितरण, व्यक्तिगत खातों का रख रखाव तथा भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों की रिपोर्ट इत्यादि का ब्यौरा तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में रखा जायेगा।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में तहसील कल्याण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर छमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करनी होगी।

16. **लेखा-परीक्षा**:- इस योजना के अंतर्गत होने वाला व्यय लेखा-परीक्षा महालेखाकार (लेखा) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

17. योजना के सुचारू संचालन एवं कार्यान्वयन, प्रपत्र निर्धारण, प्रगति रिपोर्ट एवं अभिलेख रखरखाव, डिजीटाईजेशन इत्यादि के लिये उचित दिशानिर्देश जारी करने बारे निदेशक, (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण) अधिकृत होंगे।

\*\*\*\*\*